थाने में रील, पिस्टल थाम दौड़ाई कार... उर्सला में पी गई बीयर

बाबूपुरवा थाने में बनाई रील.. शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूं

कानपुर। बाबूपुरवा थाने की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल रील में तीन युवक थाने से निकलते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में दबंगई भरे डायलॉग सुनाई दे रहे हैं। 'ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूं...। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम लाला है। आगे से नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए'। रील बादशाह अल्तमश नाम की इंस्टा आईडी से वायरल की गई है। हालांकि, **आपका अपना अखबार 'हिन्दुस्तान'** वायरल रील की पुष्टि नहीं करता है। चर्चा है कि वायरल रील में एक युवक पर चोरी समेत अन्य धाराओं में बाबूपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज है। बाबूपुरवा थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी ने बताया कि वायरल रील को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल में बीयर पीकर डस्टबीन में फेंका केन

कानपुर। जिला अस्पताल उर्सला परिसर में बीयर पीने का मामला सामने आया है। इमरजेंसी में रखे डस्टबिन में खाली केन भी मिला है। इसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड्स के बावजूद अस्पताल में बीयर पीने से कई सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि **आपका अपना अखबार 'हिन्दुस्तान'** वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के अनुसार इमरजेंसी भवन के ग्राउंड फ्लोर पर डस्टबिन में खाली बीयन का केन पड़ा था। अस्पताल के डॉक्टरों ने जब इसकी जानकारी की तो उन्हें केन फेंकने वाले के बारे में कुछ पता नहीं चला। सुरक्षा गार्ड्स भी मामले में कुछ नहीं बता सके। इमरजेंसी प्रभारी डॉ. सपन गुप्ता का कहना है कि अभी वह बाहर हैं, अगर अस्पताल में ऐसा हुआ है तो जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

युवती ने दी पिस्टल, युवक हाथ में लेकर चलाता रहा कार

चकेरी। एक युवक का असलहों के साथ दो अलग-अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वह हाथ में पिस्टल थामकर कार दौड़ाते नजर आ रहा है तो दूसरे में बंदूक लेकर बैठा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवक की पहचान में जुट गई है। हालांकि आपका अपना अखबार 'हिन्दुस्तान' वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो 10 सेकंड और 26 सेकंड के हैं। एक वीडियो में युवक कार के पास बैठा है और फिल्मी गाने के साथ बंदूक (अधिया) का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरे वीडियो में युवक कार चलाता नजर आ रहा है। उसके बगल में बैठी युवती कार की ड्राज से पिस्टल निकाल कर युवती को देती है और युवक हाथ में पकड़कर कार चलाता नजर आ रहा है। युवक भाजपा नेता व पूर्व पार्षद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि वीडियो की जांच कर युवक की पहचान की जा रही है।

फार्म बनाने को छह माह से रात में काटे जा रहे, प्रतिबंधित पेड़ भी काटे

एनएसआई में 700 पेड़ों पर चला आरा, जांच शुरू

मनमानी

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) में 700 से अधिक पेड़ों पर आरा चलवा दिया गया। वन विभाग का आरोप है कि एनएसआई ने इसके लिए परमिशन नहीं ली। काटे गए पेड़ों में प्रतिबंधित प्रजाति के भी पेड़ हैं। देर रात तक मुख्य वन संरक्षक जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करते रहे। वन विभाग भारी-भरकम जुर्माने से लेकर वृक्ष संरक्षण अधिनियम में एफआईआर दर्ज करा सकता है। बता दें पिछले साल नौ पेड़ काटने की अनुमित ली गई थी।

एनएसआई परिसर में काटे गए पेड़ों में गूलर, लसोड़ा, नीम, शीशम, कंजी, चिलबिल, केसिया, कनेर और बिलायती बबूल समेत दर्जनों प्रजाति के पेड़ हैं। करीब पांच एकड़ भूभाग में यह पेड़ लगाए गए थे लेकिन गन्ने का खेत बनाने के लिए पेड़ों को कटवा दिया गया। वन विभाग का कहना है कि शिकायत पर एक-दो बार रेंजर पहुंचे थे, लेकिन ताला लगा हुआ बताकर एनएसआई के सुरक्षकर्मी रेंजर को रोक देते थे। मंगलवार को शिकायतकर्ता साथ गया। ताले खुलवाकर निरीक्षण किया गया। 500 से अधिक बड़े पेड़ और करीब 200 छोटे पेड़ों को काटा गया है। इस मामले में एनएसआई की निदेशक डॉ. सीमा परोहा से बात करने का प्रयास किया गया, मैसेज भी भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

एनएसआई में पीछे पड़े कटे पेड़ और जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम।

> एनएसआई में करीब 700 पेड़ काटे गए हैं। इनमें 500 से अधिक बड़े पेड़ हैं। वन विभाग से परमिशन लिए बगैर सरकारी पेड़ काटे गए। इसमें एनएसआई के अलावा मेसर्स तिवारी वुड्स को भी पार्टी बनाया जा रहा है। इन पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। – **विकास नायक,** प्रभारी डीएफओ

ब्लैकमेल करने में चार पर रिपोर्ट

बिधनू। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने चार लोगों पर अश्लील फोटो वायरल कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बताया कि उसकी चचेरी ननद ने अपने सहयोगी रवि शुक्ला, आशीष गुप्ता, दिव्यांश शर्मा के साथ मिलकर बीते मार्च माह में प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद आरोपितों ने अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर फोटो को वायरल भी कर दिया। पुलिस शिकायत करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देते हुए रुपये की मांग की। आरोप है कि चचेरी ननद ने धीरे-धीरे करीब डेढ़ लाख रुपये वसूल चुकी है।

हलीम के बवाल में संजय से छिनी चमनगंज की थानेदारी

- गोविंदनगर थाना प्रभारी को दिया चमनगंज थाना
- सात थाना प्रभारी बदले गए मंगलवार को

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। हलीम कॉलेज ग्राउंड पर हुई बवाल की गाज चमनगंज थाना प्रभारी संजय राय पर गिर ही गई। अफसरों को समय से सूचना न देना और वसूली जैसे आरोप लगने के बाद उनका हटना तय माना जा रहा था। मंगलवार को आई सूची में उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। वहीं, गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश सिंह के काम से नाराज अफसरों ने उन्हें फिलहाल चमनगंज थाने की जिम्मेदारी दी है। सूत्र बता रहे हैं कि पहले उन्हें भी साइड लाइन करने की तैयारी थी। मंगलवार को जारी सात थानेदारों की गश्ती में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर केशव कुमार तिवारी को कल्याणपुर थाना प्रभारी का चार्ज मिला है। सूत्र बताते हैं कि अगली क्राइम मीटिंग से पहले एक और सूची आने की संभावना है।

हाल में किदवईनगर भेजे गए अशोक कुमार दुबे को गोविंदनगर का चार्ज दिया गया है। अशोक को किदवईनगर में एक माह ही हुआ था। क्राइम ब्रांच से केशव कुमार तिवारी को कल्याणपुर का चार्ज मिला है। अरौल थाना प्रभारी जनार्दन सिंह को कलक्टरगंज का चार्ज दिया गया है, जबकि कलक्टरगंज थानाध्यक्ष विनय तिवारी को अरौल भेजा गया है।

महंत की पिटाई का वीडियो वायरल

कल्याणपुर, संवाददाता। इंदिरा नगर के आशा देवी मंदिर में मंदिर कमेटी और महंत के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को महंत को बाल पकड़कर घसीटते हुए पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मंदिर कमेटी के लोगों ने महंत पर पहले फरसा लेकर हमला करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद कर कुछ युवकों को हिरासत में लिया है।

आशा देवी मंदिर के महंत ने परिसर के पास अपना आश्रम और गौशाला बना रखा था। सोमवार को केडीए ने इसे अवैध बताते हुए ढहा दिया था। जिस पर नाराज महंत ने आशा देवी मंदिर के गेट पर ताला डाल मौके पर डीएम को बुलाने की मांग की थी। जिसको लेकर मंदिर कमेटी और महंत के बीच जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों से कुछ लोगों पर शांति भंग का चालान भी किया था। वहीं मंगलवार को महंत को बाल पकड़कर घसीटते हुए पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया गया है। बाबा के साथ पिटाई का वीडियो संज्ञान में लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में ले पूछताछ की जा रही है।

महंत के पीटने जाने का वीडियो वायरल।

सीसामऊ नाले पर कब्जा करने वालों की सूची तलब

- नालों के किनारे 55 दुकानदार चिह्नित, मांगे गए कागजात
- अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नोटिस की तैयारी

कानपुर, मुख्य संवाददाता। मैकरॉबर्टगंज में सीसामऊ नाले की स्लैब ढहने के मामले में नगर निगम ने उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है जिन्होंने अवैध रूप से नाले पर कब्जा कर रखा है। फिलहाल नाले के किनारे स्थित 55 दुकानों को चिह्नित किया गया है। इनमें से अवैध कब्जेदारों की छंटनी की जाएगी। कब्जा करने वालों को हटाया जाएगा। इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।

नगर निगम के मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी ने बताया कि फिलहाल जोन चार के जोनल अधिकारी से रिकॉर्ड मांगा गया है। इसमें देखा जाएगा कि कितने दुकानदार वैध हैं और कितने अवैध? अगर वैध दुकानदारों ने भी अतिक्रमण किया होगा तो उनका अतिक्रमण ढहाया जाएगा। इस संबंध में दोनों प्रकार के दुकानदारों को अलग-अलग नोटिस जारी किया जाएगा। मंगलवार को नगर निगम जोन चार की जोनल अभियंता मीनाक्षी अग्रवाल ने मौके का सर्वे कराया। जिसमें कई दुकानदारों का कब्जा मिला। हालांकि दस्तावेज देखने से ही तय हो सकेगा कि किसने कितना कब्जा किया है।

नगर निगम ने अन्य नालों पर हुए कब्जों का सर्वे शुरू कर दिया है। संपत्ति विभाग से नालों पर या नालों के किनारे विभिन्न मोहल्लों में बनाई गई दुकानों से संबंधित कागजात मांगे हैं। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने संपत्ति प्रबंध अधिकारी से ऐसी संपत्तियों की रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया है।

युवक को पीटकर किया मरणासन्न

कानपुर। फजलगंज में रंजिश में आरोपितों ने युवक को पीटकर मरणासन्न कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नजीराबाद स्थित रंजीत नगर रेलवे लाइन निवासी आयुष उर्फ राजा ने बताया कि सोमवार देर रात वह चेन फैक्ट्री चौराहा गया था। आरोप है कि तभी राहुल राजपूत उर्फ नन्हू, अजय राजपूत, सनी उर्फ भेड़िया ने पीट दिया।

ठेका खुलने का विरोध

कल्याणपुर। रावतपुर के शारदा नगर में देसी शराब ठेका खुलने का इलाकाई लोगों ने विरोध कर दिया। ठेका खुलने की जानकारी पर इलाकाई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। रावतपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि विरोध कर रहे लोगों को समझाकर शांत किया गया है।

पनकी में किशोर की मौत के बाद परिवारजनों ने सड़क जाम की थी। (फाइल फोटो)

58 लोगों पर सड़क जाम कर हंगामा करने में केस

- हाईस्कूल के छात्र का शव मिलने के बाद हुआ था भारी विरोध
- पनकी रतनपुर चौकी के बाहर शव रखकर किया गया था प्रदर्शन

कल्याणपुर, संवाददाता। पनकी में किशोर की मौत के मामले में हत्या का आरोप लगाकर शव रखकर जाम लगाने पर पनकी पुलिस ने आठ नामजद समेत 58 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हत्या की रिपोर्ट के मामले में पूरी जांच शिवराजपुर थाना प्रभारी को सौंपी गई। शिवराजपुर थाना प्रभारी ने पनकी थाने में पहुंचकर आरोपित किशोर के बयान भी लिए।

पनकी नहर में डूबने से 1 जून को 16 वर्षीय अनुभव शुक्ला उर्फ सानू की मौत हो गई थी। परिजनों ने दो घंटे तक पनकी नहर किनारे शव रखकर हंगामा किया था। पोस्टमार्टम के बाद शव रतनपुर चौकी के पास पहुंचते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुख्य मार्ग को जामकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान आशुतोष शुक्ला, पवन बाजपेई, राजा श्रीवास्तव, अरविंद उर्फ गुड्डू कुशवाहा, राहुल दीक्षित, रामजी शुक्ला, राजीव शुक्ला और प्रदीप शुक्ला सहित 50 लोगों ने भीड़ को उकसाया और सड़क अवरुद्ध कर दी। करीब पांच घंटे तक रोड जाम रही। पनकी एसीपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दरोगा अनिल कुमार मलिक की की तहरीर पर 8 नामजद सहित अज्ञात 58 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

कानपुर विकास प्राधिकरण

आवश्यक सूचनाः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या–23, ब्लाक– एफ, योजना–प्रथम, एफ0डब्लू0 एरिया, कानपुर नगर क्षेत्रफल 444.44 वर्गगज की इण्डेंचर डीड प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था, कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा दिनांक 30.01.1936 को श्री फर्जन्द हुसैन पुत्र मुमताज हुसैन के पक्ष में आवासीय सह शॉप प्रयोज्य हेतु निष्पादित है। भू–स्वामी द्वारा भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग का विक्रय श्री रोशनलाल पुत्र श्री शोभाराम के पक्ष में दिनांक 18.07.1939 को कर दिया है। रोशनलाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात मृतक के एक मात्र वारिसान श्री लाला राम मिश्रा द्वारा भूखण्ड के 1/2 भाग क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज का विक्रय दिनांक 16.12.1981 को कर दिया गया। विक्रीत भाग का नामान्तरण पूर्व में किया जा चुका है। भूखण्ड के अवशेष भाग क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज के आपसी बंटवारे हेतु मा0 न्यायालय, सिविल जज, कानपुर नगर में वाद संख्या – 624/81 रमेश चन्द्र एवं 6 अन्य बनाम लालाराम योजित किया गया। उक्त वाद में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.1986 को आदेश पारित करते हुये वादीगण प्रत्येक को 1/8 भाग का स्वामित्व प्रदान किया गया। श्री लालाराम एवं उनकी पत्नी श्रीमती सियादेवी द्वारा अपने–अपने स्वामित्व के 1/8 भाग की वसीयत अपने पुत्र श्री रविन्द्र मिश्रा के पक्ष में दिनांक 08.04.1994 को निष्पादित किया है। प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुसार वसीयतकर्ता/कर्ती की मृत्यु दिनांक 22.08.2002 एवं दिनांक 24.12.1995 को हो गयी है। श्री रविन्द्र मिश्रा द्वारा अपने स्वामित्व के 3/8 भाग की वसीयत श्री राकेश मिश्रा पुत्र श्री रविन्द्र मिश्रा के पक्ष में दिनांक 14.01.2020 को किया गया। रविन्द्र मिश्रा की मृत्यु भी दिनांक 30.03.2020 को हो गयी है। इस प्रकार श्री राकेश मिश्रा को भूखण्ड के 3/8 भाग का स्वामित्व प्राप्त हुआ। श्री रमा कान्त मिश्रा एवं श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा द्वारा अपने–अपने स्वामित्व के 1/8 भाग का विक्रय श्रीमती माधुरी गुप्ता पत्नी श्री शिवमूर्ति गुप्ता के पक्ष में दिनांक 20.12.1999 को एवं दिनांक 12.01.2000 को कर दिया है। श्री हृदय नारायण मिश्रा द्वारा अपने स्वामित्व के 1/8 भाग का विक्रय दिनांक 16.11.1999 को, श्रीमती माधुरी गुप्ता द्वारा अपने स्वामित्व के 2/8 भाग का विक्रय दिनांक 20.12.2000 को, श्री राकेश मिश्रा द्वारा अपने स्वामित्व के 3/8 भाग का विक्रय दिनांक 15.11.2021 को एवं श्री रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा अपने स्वामित्व के 1/8 भाग का विक्रय दिनांक 16.11.1999 को श्री उमाशंकर मिश्रा पुत्र स्व0 लालाराम मिश्रा के पक्ष में किया गया। प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुसार उमा शंकर मिश्रा की मृत्यु दिनांक 18.02.2025 को हो गयी है। कार्यालय उप–जिलाधिकारी, सदर कानपुर नगर द्वारा निर्गत पत्र संख्या – 2025112036119002/पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र दिनांक 03.12.2025 के अनुसार मृतक के निम्न पारिवारिक सदस्यगण हैं– 1– श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, मृतक की पत्नी, उम्र 73 वर्ष। 2 – अनिल कुमार मिश्रा, मृतक का पुत्र, उम्र 52 वर्ष। 3– श्रीमती संध्या शर्मा, मृतक की पुत्री (विवाहित), उम्र 48 वर्ष। 4– राकेश मिश्रा, मृतक का पुत्र, उम्र 43 वर्ष। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य नहीं है। तालिका के क्रमांक 3 पर अंकित सदस्य द्वारा क्रमांक 1, 2 व 4 पर अंकित सदस्यों के पक्ष में नामान्तरण की सहमति शपथपत्र के माध्यम से दी है। अतः प्रस्तुत प्रपत्रों/साक्ष्यों के आधार पर भूखण्ड संख्या – 23, ब्लाक–एफ, योजना–प्रथम, एफ0डब्लू0 एरिया, कानपुर नगर के पार्ट क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज का प्राधिकरण अभिलेखों में श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, श्री अनिल कुमार मिश्रा एवं श्री राकेश मिश्रा के पक्ष में नामान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय (विक्रय जोन–2बी) में प्रस्तुत कर दें, निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति/क्लेम पर विचार नहीं किया जायेगा।

विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन–2बी)

JKCement

जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड

सीआईएन: L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर- 208 001, उ.प्र.
टेलीफोन: +91 512 2371478 - 81 | फैक्स: +91 512 2332665
वेब: www.jkcement.com | ईमेल: comp.sec@jkcement.com

दावा रहित/भुगतान रहित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अंतरण के पूर्व इक्विटी शेयरहोल्डर्स/सदस्यों को सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षण, अंतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अवितरित/अदत्त लाभांश तथा कंपनी के वे इक्विटी शेयर, जिन पर उक्त वित्तीय वर्ष से लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है अथवा लाभांश भुनाया नहीं गया है, सितंबर, 2026 के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में अंतरण हेतु देय हो जाएंगे।

ऐसे संबंधित सदस्यों तथा I E P F को अंतरण हेतु देय शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.jkcement.com** पर 'Information about IEPF' अनुभाग में उपलब्ध है। इस संबंध में संबंधित सदस्यों को उनके कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास उपलब्ध पंजीकृत पते/ई-मेल आईडी पर व्यक्तिगत सूचना भी भेजी जा चुकी है।

संबंधित सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त लाभांश एवं शेयरों के संबंध में अपना दावा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता, एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (RTA), चौथी मंजिल, टावर 3, वन इंटरनेशनल सेंटर, सेनापति बापट मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई– 400013 को 31 जुलाई, 2026 या उससे पूर्व लिखित रूप में प्रस्तुत करें। यदि **31 जुलाई, 2026** तक कंपनी/RTA को कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार ऐसे अवितरित/अदत्त लाभांश एवं संबंधित शेयरों को IEPF में अंतरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।

कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार IEPF में अंतरण किए गए अवितरित लाभांश एवं संबंधित शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। संबंधित सदस्य निर्धारित प्रपत्र IEPF-5 में ऑनलाइन आवेदन करके IEPF प्राधिकरण से दावा कर सकते हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अवितरित/अदत्त लाभांश तथा उससे संबंधित शेयरों का अंतरण पूर्व में सूचित किए अनुसार IEPF में किया जा चुका है।

किसी भी स्पष्टीकरण हेतु सदस्य कंपनी से comp.sec@jkcement.com अथवा RTA से investor.ndmlrta@ndml.in पर संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष संख्या 022-4914-2578/2589 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षण, अंतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016 के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 2 जून, 2026

कृते **जे.के. सीमेंट लिमिटेड**
भूमिका सूद
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप सं. (एसीएस सं. 19326)

शहर 30s

प्रशिक्षु चिकित्सक की मौत, निकाला कैंडल मार्च

कानपुर। 17 मई को सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रशिक्षु चिकित्सक विकास प्रजापति की मौत से आक्रोशित राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने कहा कि प्रशिक्षु छात्र बाइक से खुले नाले में गिर गया था। उचित मुआवजा न मिलने पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पैदल मार्च कर न्याय की गुहार लगाएंगे।

पिता पर हमले की शिकायत ले पहुंची छात्रा बेहोश

कानपुर। पिता पर हमले की शिकायत लेकर मंगलवार को कमिश्नर कार्यालय पहुंची बिधनू के सपई गांव की बीएससी छात्रा शिवानी बेहोश हो गई। छात्रा शिवानी ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने तीन मई को पिता बृजेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला किया था। आरोपियों ने पीटने के बाद सिर पर तमंचे की बट से वार किया था। मामले में उन्होंने बिधून थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कार की टक्कर से मजदूर की जान गई

कानपुर। बिठूर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई। रावतपुर निवासी 50 वर्षीय रामबाबू सोनवानी बिठूर के सिंहपुर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में सरिया का जाल बनाने का काम कर रहे थे। मंधना-गंगा बैराज हाईवे पर कार उन्हें टक्कर मारकर भाग निकली। परिजन का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें तत्काल अस्पताल भेजने की बजाय बेटे साहिल को सूचना दी।

बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत

कानपुर। सचेंडी के भैलामऊ निवासी 51 वर्षीय मजदूर कल्लू की बुलट की टक्कर से मौत हो गई। परिजन ने बताया कि रविवार देर रात भीम सिंह रोड पर बुलट सवार ने टक्कर मार दी थी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन ने हैलट अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।

नगर निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट

कल्याणपुर। बर्रा विश्वबैंक निवासी रमेश यादव वर्तमान में नगर निगम जोन पांच के अवर अभियंता के चालक पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पनकी कला इलाके में नगर निगम की तरफ से विद्युत लाइट मरम्मत का कार्य चल रहा था। तभी इलाके के विष्णु और उनका भाई छोटे वहां पहुंचे और ठेकेदार का नाम लेकर गाली गलौज करने लगे। उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी।

जूही में सील की गई निर्माणाधीन इमारत

कानपुर। केडीए ने जूही सरोजनी नगर में तरुण जौली एवं वरुण जौली द्वारा 400 वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध इमारत को सील कर दिया। ओएसडी सत शुक्ला की अगुवाई में केडीए ने यह कार्रवाई की। ओएसडी ने बताया कि इस इमारत का निर्माण बिना नक्शा पास कराए ही किया जा रहा था। इससे पहले भी निर्माण करने वाले को नोटिस जारी किया गया था मगर निर्माण नहीं रोका गया।

वेतन बढ़ाने के लिए चप्पल फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन

कल्याणपुर। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में चप्पल फैक्ट्री के कर्मचारियों ने मंगलवार को काम ठप कर तीन घंटे हंगामा किया। आरोप लगाया कि 12 घंटे काम करने के बावजूद पीएफ और ईएसआई तक नहीं कटता और न ही ओवरटाइम का भुगतान मिलता है। सरकार की ओर जारी नियमावली के तहत वेतन नहीं दिया जाता। फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी मांगे मान ली, जिसके बाद सभी काम पर लौट गए।

कानपुर के युवक समेत दो पर मुकदमा

केमरी (रामपुर)। थाना क्षेत्र के एक गांव से साप्ताहिक बाजार गई 15 वर्षीय किशोरी का एक युवक अपने साथी संग बाइक से अपहरण कर ले गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कानपुर के युवक और उसके साथी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पत्नी की मौत में इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार

लखनऊ। सआदतगंज पुलिस ने मंगलवार को मानसी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपित इन्फ्लुएंसर पति सागर राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित को केजीएमयू ट्रामा सेंटर से उस समय दबोचा लिया। जब वह अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद फरार होने की फिराक में था।